राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 596/2014

रमेश कुमार —**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.08.2014
आदेश की दिनांक : 26.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की चयन प्रक्रिया उपरांत सहायक रेडियोग्राफर के पद पर फरवरी 1999 में नियुक्ति हुई थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 09.02.1999 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी रेडियोग्राफर की योग्यता रखता है। राज्य सरकार के चयनित वेतनमान नियमों के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी को 9 वर्ष तक पदोन्नति नहीं भी मिलती है तो नियमानुसार 9 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत कर उच्च पद का लाभ प्रदान किया जाता है। अपीलार्थी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने पर अपीलार्थी को नियमानुसार 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 09.02.2008 को देय होने पर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अपीलार्थी के चयनित वेतनमान को 5 वर्ष आगे खिसकाकर दिनांक 09.02.2008 के स्थान पर दिनांक दिनांक 09.02.20213 से प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृत की गई और अपीलार्थी का फिक्सेशन 5200–20200 ग्रेड–पे 2800/– में किया गया (अनुलग्नक–1)। कार्मिक विभाग का परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के अनुसार राजकीय सेवा में नियमित पदोन्नति और अस्थाई पदोन्नति के संबंध में पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के अतिक्रमण में जारी किया गया है। उक्त परिपत्र के बिंदू संख्या 10.4 में यह प्रावधान है कि जिस राज्य सेवक के दिनांक 01.06.2002 को और उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हैं, ऐसे राजसेवक की पदोन्नति जिस तारीख से देय होती है उससे पाँच विभागीय पदोन्नति समिति वर्षों तक उसकी पात्रता पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त परिपत्र के नियम सं0–10.5 में यह प्रावधान है कि ऐसे किसी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसकी उसकी पदोन्नति देय हो जाती है,

पाँच भर्ती वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 01 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों। उक्त परिपत्र के आधार पर ही अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने नौ वर्षीय ए०सी०पी० का लाभ दिनाँक 09.02.2008 के स्थान पर पाँच वर्ष पश्चात् दिनाँक 09.02.2013 से स्वीकृत किया गया है, जो नियमानुसार उचित था। प्रत्यर्थी विभाग ने आलौच्य आदेश दिनांक 20.06.2014 द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र और नियमों के विपरीत जाकर बिना किसी कारण के नियमों की गलत व्याख्या करते हुए अपीलार्थी को प्रथम एसीपी का लाभ आदेश दिनांक 05.03.2014 द्वारा दिनांक 09.02.2013 से स्वीकृत किया गया था, को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उक्त लाभ, जो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 8(iii) के अनुसार दिनांक 01.06.2002 के पश्चात संतान की संख्या 2 से अधिक होने पर एसीपी देय नहीं है (अनुलग्नक–2)। प्रत्यर्थी विभाग ने वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 8 (iii) के अनुसरण में अपीलार्थी की स्वीकृत एसीपी को निरस्त किया गया है, जबकि उक्त प्रावधान में केवल मात्र यह अंकित है कि नियुक्ति अधिकारी राजकीय कर्मचारी से एसीपी का लाभ देने से पूर्व यह शपथ पत्र प्राप्त करेगा कि उसके दिनाँक 01.06.2002 से पूर्व दो ही बच्चे हैं, परन्तु किसी भी राजकीय कर्मचारी को दो से अधिक संतानें होने पर अपात्र नहीं करेगा। उक्त प्रावधानों में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि राजकीय कर्मचारी को दिनाँक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न होने पर प्रथम ए०सी०पी० का लाभ नहीं दिया जायेगा। प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त नियमों का मनमाने ढंग से व्याख्या करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया है, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनाँक 04.06.2008 के अनुसार पदोन्नति में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी राजकीय कर्मचारी के दिनाँक 01.06.2002 के बाद में अगर तीसरी संतान उत्पन्न होती है, तो उसको केवल मात्र पाँच वर्षो तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त परिपत्र के बिंदू सं0–10.4 व 10.5 में उक्त प्रावधान अंकित है। जब राज्य सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारी को चयनित वेतनमान/ए०सी०पी० का लाभ कर्मचारी की नौ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति नहीं होने पर ही लाभ दिया जाता है, उक्त परिपत्र में यह प्रावधान है कि राजकीय कर्मचारी के दिनाँक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न होने पर उक्त कर्मचारी को पदोन्नति वर्ष के पश्चात् पाँच वर्षों तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। कर्मचारी की पदोन्नति नहीं होने की एवज में ही राज्य सरकार द्वारा चयनित वेतनमानध्ए०सी०पी० का लाभ दिया जाता है, उक्त प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को तीसरी संतान दिनाँक 01.06.2002 के पश्चात् उत्पन्न होने के कारण तथा अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं होने के कारण अपीलार्थी को चयनित

वेतनमान (ए०सी०पी०) का लाभ दिनाँक 09.02.2008 के स्थान पर पाँच वर्ष पश्चात् दिनाँक 09.02.2013 से प्रथम ए०सी०पी० राजकीय कर्मचारी से ए०सी०पी० का लाभ देने से पूर्व यह शपथ पत्र प्राप्त करेगा कि उसके दिनाँक 01.06.2002 से पूर्व दो ही बच्चे हैं, परन्तु किसी भी राजकीय कर्मचारी को दो से अधिक संतानें होने पर अपात्र नहीं करेगा। उक्त प्रावधानों में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि राजकीय कर्मचारी को दिनाँक 01.06. 2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न होने पर प्रथम ए०सी०पी० का लाभ नहीं दिया जायेगा। प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त नियमों का मनमाने ढंग से व्याख्या करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया है, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। कार्मिक विभाग के परिपत्र में बिंदू संख्या 10.4 एवं 10.5 में यह प्रावधान है कि राजकीय कर्मचारी के दिनाँक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न होने पर उक्त कर्मचारी को पदोन्नति वर्ष के पश्चात् पाँच वर्षों तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। कर्मचारी की पदोन्नति नहीं होने की एवज में ही राज्य सरकार द्वारा चयनित वेतनमान (ए०सी०पी०) का लाभ दिया जाता है, उक्त प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को तीसरी संतान दिनाँक 01.06.2002 के पश्चात् उत्पन्न होने के कारण तथा अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं होने के कारण अपीलार्थी को चयनित वेतनमानध्ए०सी०पी० का लाभ दिनाँक 09.02.2008 के स्थान पर पाँच वर्ष पश्चात् दिनाँक 09.02.2013 से प्रथम ए०सी०पी० स्वीकृत की गई थी, उक्त ए०सी०पी० को आलोच्य आदेश द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनाँक 04.06.2008 के विपरीत जाकर अपीलार्थी की ए०सी०पी० को निरस्त किया गया है, जो राज्य सरकार के परिपत्र के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को प्रथम ए०सी०पी० का लाभ नियमानुसार नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही आदेश दिनाँक 05.03.2014 द्वारा दिया गया था तथा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा अपीलार्थी को बिना किसी नोटिस के आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी की प्रथम ए०सी०पी० के लाभ को निरस्त कर दिया गया, जो अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर देने के कारण भी आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.06.2014 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकृत प्रथम 09 वर्षीय एसीपी के लाभ को दिनांक 09.02.2013 से यथावत रखे जाने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वित्त विभाग की अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जो अधिकरण के अधिनियम की धारा 2 एफ के विपरीत है। अधिकरण के समक्ष राज्य सरकार के नियमों को चुनौती

नहीं दी जा सकती है। अपीलार्थी का विवाद 9 साल पर देय एसीपी 2008 में उत्पन्न हो गया था। परन्तु अधिकरण के समक्ष अपील अत्यन्त विलम्ब से पेश किए जाने के कारण विलम्ब के आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है। साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी को दिनांक 09.02.2008 को 09 वर्षीय चयनित वेतनमान देय था परन्तु अपीलार्थी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न होने के कारण इन्हें 09 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ 05 वर्ष बाद इन्हें दिनांक 05.03.2014 को 09 वर्षीय एसीपी देय नहीं होने के उपरान्त सहवन से स्वीकृति जारी हो गई थी, जिसे वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 31.12.2009 के नियम बिन्दु संख्या 8 (iii) के अनुसरण में आदेश दिनांक 20.06.2014 द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति को निरस्त किया गया है, जो नियमानुसार है इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.06.2014 को अपास्त कर अपीलार्थी को पूर्व में आदेश दिनांक 05.03.2014 द्वारा स्वीकृत प्रथम एसीपी का लाभ यथावत रखे जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी की राजकीय सेवा में 09.02.1999 को नियुक्ति हुई एवं 9 वर्ष की सेवा 09.02.2008 को पूरी होती है। आदेश दिनांक 05.03.2014 द्वारा अपीलार्थी को 9 वर्ष का एसीपी का लाभ 01.06.2002 के पश्चात तीसरी सतांन उत्पन्न होने के कारण 5 वर्ष विलम्ब से अर्थात 14 वर्ष के सेवा अवधि पूर्ण होने पर 09.02.2013 से स्वीकार किया गया एवं एसीपी स्वीकृत करने के इस आदेश को आलौच्य आदेश दिनांक 20.05.2014 द्वारा निरस्त कर दिय। आलौच्य आदेश में निरस्त करने का आधार यह अंकित है कि वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 31.12.2009 के नियम 8(III) के अनुसार दिनांक 01.06.2002 के पश्चात संतान की संख्या–2 से अधिक होने के कारण एसीपी देय नहीं है।

अपीलार्थी की तरफ से निवेदन किया कि एसीपी का लाभ पदोन्नति की एवज में किए जाने का प्रावधान है। कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिंदू संख्या 10.5 में यह प्रावधान है कि ऐसे किसी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसकों उसकी पदोन्नति देय हो जाती है। पांच भर्ती वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा यदि उसके 1 जून 2002 को यदि इसके पश्चात दो से अधिक संतान हो। इसी आधार पर अपीलार्थी की प्रथम एसीपी 9 साल के बजाय 5 साल आगे बढ़ाकर 14 साल बाद स्वीकृत की गई जो नियमानुसार थी। इस स्वीकृति को निरस्त करना नियम विरूद्ध है। साथ ही निवेदन किया कि वित्त विभाग ने भी मेमोरेण्डम दिनांक 06.10.2015 द्वारा यह

स्पष्ट कर दिया है कि इन प्रकरणों में एसीपी देय होने की तिथी से 5 वर्ष बाद स्वीकार की जायेगी। अतः आलौच्य आदेश निरस्त किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से निवेदन किया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु राज्य सरकार ने वेतन नियतन नियम 2008 बनाकर इन्हें 2006 से लागू किया गया। इन नियमों में एसीपी का प्रावधान किया गया है। एसीपी लागू करने के संबंध में वित्त विभाग ने एक मेमोरेण्डम दिनांक 31.12.2009 को जारी किया। इसके बिंदू संख्या 2 के बिंदू 8(ııı) के अनुसार दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक सतांन होने पर एसीपी देय नहीं है। अपीलार्थी को प्रथम एसीपी की स्वीकृति सहवन से जारी हो गई थी जिसे आलौच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया जो नियमानुसार सही है।

हमने कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 एवं वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 31.12.2009 एवं 06.10.2015 का अवलोकन किया। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में इन प्रकरणों में पदोन्नति देय होने से आगामी 5 भर्ती वर्ष तक पदोन्नति हेतु विचार नहीं करने का प्रावधान है। जहां तक एसीपी का विषय है यह वित्त विभाग के आदेशों से अनुशासित होता है। वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 31.12.2009 के बिंदू संख्या 2 के बिंदू 8(ııı) में निम्न प्रावधान हैः–

> "The appointing authority shall also obtain an affidavit from the employee with reference to having only two children on or after 01.06.2002 prior to granting ACP. But the employee having more than 2 children shall not be deemed to have been disqualified, so long as the number of children he / she has on 01.06.2002, does not increase."

इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा मेमोरेण्डम दिनांक 06.10.2015 द्वारा विद्यमान प्रावधान को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया है।

> "The appointing authority shall also obtain an affidavit from the employee with reference to having only two children on or after 01.06.2002 prior to granting ACP. An employee who has more than 2 children on or after 01.06.2002 shall not be granted next ACP for 5 years from the date on which his ACP is became due and it would have consequential effect on the subsequent financial upgradation which would also get deferred to the extent of delay in grant of previous financial upgradation. The employee having more than 2 children shall not be deemed to have been disqualified, so long as the number of children he/she has on 01-06-2002 does not increase.
>
> This order shall come into force with iminediate effect."

इनके अवलोकन से स्पष्ट है कि मेमोरेण्डम दिनांक 31.12.2009 के अनुसार इन प्रकरणों में एसीपी देय नहीं थी जिसे बाद में मेमोरेण्डम दिनांक 06.10.2015 का अनुज्ञात किया गया है एवं नवीन प्रावधान को उसी दिन अर्थात दिनांक 06.10.2015 से प्रभावी किया है। इस प्रकार दिनांक 06.10.2015 से पहले इस प्रकृति के प्रकरणों में एसीपी देने का प्रावधान नहीं था। लिहाजा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को सहवन से स्वीकृत की गई प्रथम एसीपी के आदेश को निरस्त किया जाना नियमानुसार होने से इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी के अन्यथा पात्र पाये जाने पर दिनांक 06.10.2015 से प्रथम एसीपी देय होगी।

उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत अपील अस्वीकार की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य